**उत्तर प्रदेश सरकार,**

**उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,**

**लखनऊ , उत्तर प्रदेश-226001**

**सूचना/विज्ञप्ति**

**(वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु)**

**उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग(प्रथम संशोधन) नियमावली- 2016 के नियम 17- सीधी भर्ती की प्रक्रिया के उप नियम (ख) के अन्तर्गत लिखित परीक्षा हेतु प्रक्रिया का प्रकाशन**

पत्र संख्या: पीआरपीबी-अनु-6-प-3/2017 दिनांक जुलाई 6 , 2017

**लिखित परीक्षा हेतु प्रक्रिया**

अभ्यर्थी , जिनके आवेदन पत्र सही पाये जाते हैं, से एक वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी, जो निम्नलिखित विषयों में 400 अंकों की होगी ।

| | **विषय** | **अधिकतम अंक** |
|---|---|---|
| 1. | सामान्य हिन्दी/ कम्प्यूटर ज्ञान | 100 अंक(वस्तुनिष्ठ प्रकार) |
| 2. | सामान्य जागरूकता/सामायिक विषयक | 100 अंक(वस्तुनिष्ठ प्रकार) |
| 3. | संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा | 100 अंक(वस्तुनिष्ठ प्रकार) |
| 4. | मानसिक अभिरूचि परीक्षा/बुद्धिलब्धि परीक्षा/तार्किक परीक्षा | 100 अंक(वस्तुनिष्ठ प्रकार) |

प्रत्येक विषय में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे।

1. बोर्ड अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा एक ही तिथि को एक पाली अथवा एक से अधिक पाली अथवा एक से अधिक तिथियों में विभिन्न प्रश्नपत्र के साथ विभिन्न पालियों में आयोजित कर सकता है ।
2. प्रत्येक पालियों के प्रश्न पत्र अलग-अलग होगें और आवश्यकता पड़ने पर अंकों के प्रासामान्यीकरण (Normalization) की प्रक्रिया अपनायी जायेगी।
3. लिखित परीक्षा के लिये प्रवेश पत्र(बुलावा पत्र) डाक से नहीं भेजे जायेगें। अभ्यर्थी को परीक्षा के 15 दिवस पूर्व प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड करने हेतु उपलब्ध कराये जायेगें ।
4. लिखित परीक्षा कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट(सीबीटी) आधारित होगी। तथापि बोर्ड कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट(सीबीटी) अथवा ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक पर आधारित किसी एक प्रणाली का चुनाव करते हुये लिखित परीक्षा करा सकता है
5. विषय-1 में सामान्य हिन्दी को छोड़कर सभी विषयों के सभी प्रश्नपत्र हिन्दी और अग्रेंजी भाषा में होगें । किसी संशय या भ्रम की स्थिति में अंग्रेजी रूपान्तर मान्य होगा ।
6. समस्त अभ्यर्थियों के प्रश्नपत्र को उत्तर कुंजी के साथ संबंधित अभ्यर्थी हेतु बोर्ड की वेबसाइट पर एक निर्धारित समय हेतु उपलब्ध कराये जायेगें।
7. अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जायेगी कि वे बोर्ड द्वारा निर्गत किये गये अनुदेशों के अनुसार, जहॉ इस प्रकार अनुदेशित किया गया हो और अभ्यर्थी उसका पालन करने में असफल रहे हों, तो उत्तर पत्रक का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को कोई अंक प्राप्त नहीं होगा ।
8. सभी प्रश्नों एवं उत्तरों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिये सभी सावधानियां बरती जायेगी। तथापि एक या अधिक प्रश्नपत्रों में किसी प्रश्न के गलती होने की दशा में या बोर्ड के विचार में उत्तर का विकल्प अनोखा नहीं है या अन्य किसी कारण से जिसे अभिलिखित किया जायेगा बोर्ड किसी भी प्रश्न को रद्द कर सकता है । बोर्ड द्वारा किसी भी कारण से प्रश्न को रद्द किये जाने की दशा में उस प्रश्न हेतु आवंटित अंक उन सभी अभ्यर्थियों को दिये जायेगें, जिन्होंने उस प्रश्न का कोई एक उत्तर विकल्प भरा हो।
9. बोर्ड परीक्षा के लिये विस्तृत पाठ्य-विवरण विनिर्दिष्ट करेगा। तथापि पाठ्य-विवरण संकेतात्मक प्रकृति का होगा और परीक्षा समाप्त हो जाने के बाद पाठ्यक्रम द्वारा अनाच्छादित प्रश्नों से सम्बन्धित मामलों पर कोई अपील या आपत्तियॉ नहीं की जा सकेगी ।
10. अगर परीक्षा के दौरान कोई अभ्यर्थी नकल करते हुए अथवा अनुचित संसाधनों का प्रयोग करते हुये पाया जाता है, तो बोर्ड उसका अभ्यर्थन निरस्त कर सकता है एवं इस सम्बन्ध में बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा।

6/7/17

अपर सचिव,भर्ती,

उ0प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,

लखनऊ ।